


कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जिला हरदा

बिन्दु क्रमांक - 1.1



बिन्दु क्रमांक - 1.2 कार्यालय में प्रत्येक शाखा के कार्य एवं कर्तव्य

क्रमांक	शाखा	कर्तव्य
1	प्रशासनिक शाखा	कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों का निराकरण एवं अर्जित अवकाश की स्वीकृति
2.	योजना	योजना एवं सांख्यिकी कार्य
3	लेखा शाखा	लेखा संबंधित सम्पूर्ण कार्य
4	स्थापना शाखा	स्थापना से संबंधित सम्पूर्ण का विद्युतीय करण विशेष केन्द्रीय सहायता
5	स्टोर शाखा	क्रय एवं सामग्री का रख रखाव

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला - हरदा

बिन्दु क्रमांक -2 कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पद, कर्तव्य, एवं परिलब्धियों की जानकारी

क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	परिलब्धियां	कर्तव्य
1	(पदरिक्त)	परियोजना अधिकारी	—	प्रशासनिक नियंत्रण
2	श्री टी आर पवार	सहायक साख्खिकी अधिकारी	31361 /—	योजना तैयार करना
3	श्री एन के वर्मा	सहायक वर्ग-2	19301 /—	स्थापना, प्रगति प्रतिवेदन, विद्युतीयकरण कार्य
4	श्री गोविंद प्रसाद सूचिक	भृत्य	11737 /—	कार्यालयीन कार्य
5	श्री हरनाथ धनवारे	भृत्य	11737 /—	कार्यालयीन कार्य

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला हरदा

बिन्दु क्रमांक – 3 कार्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नस्ती खोले जाने से निर्णय होने तक

योजना का विवरण

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

विद्युतिकरण

परिवार मूलक हितग्राही मूलक कार्यो का
ग्राम सभा में अनुमोदन

विभिन्न स्तर से प्राप्त प्रस्तावों का
संकलन एवं परियोजना सलाहकार
मंडल द्वारा अनुमोदन ।

परियोजना स्तर पर परियोजना सलहाकार
मंडल से अनुमोदन

कलेक्टर से स्वीकृति पश्चात कार्य
का क्रियान्वयन

संचालक आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजना
भोपाल आवंटन हेतु

प्राप्त आवंटन का विकास विभागो को
पुर्नवंटन

विकास विभागो द्वारा योजना का क्रियान्वयन

टीप :- कार्य विभागीय प्रक्रिया के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाता है ।

2. संविधान के अनुच्छेद 275 (1)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र से अद्योसंरचना से संबंधित
प्रस्ताव प्राप्त करना ।

परियोजना सलाहकार मंडल का अनुमोदन

संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं भोपाल को
आवंटन हेतु भेजना ।

प्राप्त आवंटन का विभिन्न एजेंसीयों द्वारा क्रियान्वयन ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला हरदा

बिन्दु क. – 4

कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा सम्बंधित मापदंड तय किये जाने सम्बंधी जानकारी

1. वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त पत्रों की जानकारी	निर्धारित समय में
2. कार्यालय कलेक्टर महोदय से प्राप्त पत्रों की जानकारी	निर्धारित समय में
3. जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी	निर्धारित समय में
4. पेंशन प्रकरण	निर्धारित समय में
5. जी. पी. एफ. प्रकरण	15 दिवस में
6. अवकाश प्रकरण निराकरण	15 दिवस में
7. वेतन	आगामी माह की प्रथम तारीख
8. अनुशासनात्मक कार्यवाही	30 दिवस में
9. वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृति	माह के प्रथम सप्ताह में
10. न्यायालयीन प्रकरण	समय सीमा
11. विभागीय योजना स्वीकृति	समय सीमा

बिन्दु क. – 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम रेगुलेशन मेनवल की सूची विभाग द्वारा जारी अधिनियम रेगुलेशन मेनवल का पालन।

1. पेंशन नियम
2. अवकाश नियम
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम
4. विशेष केन्द्रीय सहायता नियम 2003 दि. 2 / 5 / 2003 एवं 275 (1) हेतु नियम एवं समय-समय प्राप्त निर्देशानुसार ।
5. विद्युतीय करण हेतु विभाग से समय-समय पर प्राप्त निर्देशानुसार

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला हरदा

बिन्दु क. – 6 कार्यालय मे संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखो की सूची

1. योजना शाखा

1. विशेष केन्द्रीय सहायता एवं 275(1) की योजना प्रारूप नस्ती
2. परियोजना सलाहकार मण्डल की बैठक नस्ती
3. बैठक में उपस्थित माननीय जन प्रतिनिधियों तथा विकास विभागो के अधिकारियो की नस्ती
4. विशेष केन्द्रीय सहायता एवं 275 (1)वजट आवंटन नस्ती
5. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र ग्रामों की पंजी
6. विशेष केन्द्रीय सहायता एवं 275(1) के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्रों का प्रेषण

2. लेखा शाखा

बजट आवंटन पंजी ; कैश बुक ; बिल रजिस्टर ; बी. टी. वी चेक बुक पंजी चालान पंजी सामान्य भविष्यनिधि विभागीय भविष्य निधि आवस ग्रह किराया कर्मचारी समूह बीमा योजना अनाज अग्रिम त्यौहार अग्रिम यात्रा देयक चिकित्सा देयक वेतन देयक पंजी तथा व्हाउचर्स नस्तिया तथा समस्त अभिलेखो का संधारण ।

3. स्थापना शाखा

सेवा पुस्तिका का संधारण एवं अवकाश वेतन वृद्धि पेशन प्रकरण एवं जनजाती विद्युतिकरण ।

4 स्टोर शाखा

स्टाक स्टोर आदिवासी उपयोजना विकास विभागों से संबंधित अन्य योजना संबंधित नस्ती

5. आवक जावक शाखा

आवक जावक स्टांप पंजी प्यून बुक टंकण कार्य

बिन्दु क. – 7

परामर्शदात्री समिति जिले से संबंधित है ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला हरदा

बिन्दु क्र. – 8

1. परियोजना स्तर हेतु समिति

क्रमांक	नाम तथा पद	परियोजना सलहाकार मंडल में धारित पद
1	मान.श्री संजय शाह विधायक वि.सभा क्षेत्र टिमरनी	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष ;जिला पंचायत हरदा	सदस्य
3	परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे	सदस्य
4	परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद अध्यक्ष	सदस्य
5	जिला पंचायत के दो सदस्य जिसमें एक महिला हो	सदस्य (नस्ती प्रचलन में)
6	परियोजना क्षेत्र में कार्यरत दो उपलब्ध प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हैं । अथवा 2 प्रतिष्ठित समाज सेवी जो आदिवासी वर्ग के हो ।	सदस्य
7	अनुसूचित जनजातियों के विशेषज्ञ	सदस्य
8	कलेक्टर	सदस्य
9	व्यावस्थापक स्थानीय लीड बैंक	सदस्य
10	अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य
11	अध्यक्ष भूमि विकास बैंक	सदस्य
12	जिला पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य
13	परियोजना अधिकारी आदिवासी विकास परि . हरदा	सदस्य / सचिव

टीप:- परियोजना सलाहकार मंडल की बैठको में माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय को विशेष आमंत्रित के रूप में सम्मिलित करने के निर्देश है ।

2:- परियोजना स्तर पर :-

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 323. / एम.एम. / 76 भोपाल दिनांक 21.06.1976 के अंतर्गत आदिवासी उप योजना क्षेत्रान्तर्गत विभागीय विकास विभागों की माँग संख्या 41 आदिवासी आयोजनेत्तर के तहत प्राप्त विभिन्न विकास विभाग के जिला अधिकारियों को प्राप्त आवंटन व्यय भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा के लिए परियोजना क्रियान्वयन समिति गठन निम्नानुसार है ।

क्रमांक	नाम तथा पद	समिति के धारित पद
1.	जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	परियोजना अधिकारी	सदस्य / सचिव
3.	सभी विभिन्न विकास विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य

**परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हरदा**

बिन्दु क्रमांक - 9 कार्यालय मे कार्यरत अधिकारी / कर्मचारीयो के नाम एवं पद नाम

क्र०	नाम अधिकारी / कर्म०	पदनाम	पता
1.	रिक्त	परियोजना अधिकारी	-I
2.	श्री टी. आर. पवार	सहा.सां.अधि.	जी-3 तवा कालोनी हरदा
3.	श्री एन. के. वर्मा	साह.ग्रेड 2	गुर्जर बोर्डिंग गली नं 3 हरदा
4.	श्री गोविन्द सूचिक	भृत्य	सुभाष वार्ड हरदा
5.	श्री हरनाथ धनवारे	भृत्य	शकूर कालोनी हरदा

बिन्दु क्र. -10. कार्यालय मे कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियो को वेतन एवं अन्य भत्तो का विवरण

क्र.	अधि. कर्म. का नाम	पद	मूलवेतन	ग्रेड पे	महगाईभत्ता	वर्दी भत्ता	आवास भत्ता
1.	रिक्त	परियोजना अधि.	-	-	-	-	-
2.	श्री टी. आर. पवार	सहा.साख्य.अधि	19630/-	3600/-	8131/-	-	-
3.	श्री एन. के. वर्मा	सहा. ग्रेड 2	11340/-	2800/-	4949/-	-	212/-
4.	श्री गोविन्द सूचिक	भृत्य	7180/-	1400/-	3003/-	15/-	139/-
5.	श्री हरनाथ धनवारे	भृत्य	7180/-	1400/-	3003/-	15/-	139/-

- टीप':-
1. कार्यालय संयुक्त कलेक्टर भवन मे संचालित हैं ।
 2. एक कर्मचारी को छोडकर किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को शासकीय भवन आवंटित नही हैं ।
 3. कर्मचारीयो का वेतन भुगतान स्टेंट बैंक के माध्यम से किया जाता है ।

**परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हरदा**

बिन्दु क. – 11 कार्यालय मे प्राप्त आवंटन मदवार 2010–11

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	वेतन भत्ता 33 / 2225 स्थापना व्यय	15.59	5.85 लाख दिसम्बर 2010 तक
2.	विशेष केन्द्रीय सहा.41 / 4225 एवं 2225	108.62	आवंटन माह दिस 2010 मे प्राप्त, राशि पुनरावटित की गई ।
3.	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	72.12	—”—
3.	विद्युतीकरण		
	1 ग्रामीण विद्युतीकरण	3.88	कार्य स्वीकृत की कार्यवाही जारी है ।
	2. पपों का उर्जाकरण	9.16	—”—
	3. एकल वत्ती कनेक्शन	1.03	—”—

बिन्दु क. 12:- एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हरदा के कार्यक्रम की सूची

1. विशेष केन्द्रीय सहायता
2. संविधान के अनुच्छेद 275 (1)
3. विद्युतीकरण

क्र.	कार्ययोजना	मापदण्ड
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	हितग्राही मूलक आय सृजन की योजनाओं के लिए संबंधित ग्राम सभाओं मे हितग्राही तथा योजना की अनुशंसा एवं परियोजना सलाहकार मंडल के अनुमोदन पश्चात संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना भोपाल को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है । योजना स्वीकृत पश्चात संबंधित विभाग अथवा जनपद द्वारा क्रियान्वयन की कार्यवाही की जाती है ।
2	संविधान के अनुच्छेद 275 (1)	उपयोजना क्षेत्र से अद्योसंरचना से संबंधित कार्यों का अनुमोदन परियोजना सलाहकार मंडल से प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को भजा जाता है । स्वीकृति पश्चात संबंधित विभाग कार्य का संपादन करते है ।
3	विद्युतीकरण	इस योजनान्तर्गत अ. ज. जा. हितग्रहियों को पम्प कनेक्शन एवं एकल वत्ती कनेक्शन शासन के मापदण्ड अनुसार हितग्रहियों का चयन कर स्वीकृत करना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण ।

**परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हरदा**

बिन्दु क. 13:-

हितग्राहियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएँ

1. हितग्राहियों को रोजगार मूलक आय सृजन की योजनाओं हेतु सहायता प्रदान करना ।
2. समय समय पर तकनिकी मार्गदर्शन की सुविधा ।

बिन्दु क्रमांक 14 – कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची

बिन्दु क्रमांक 15 – आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय पब्लिक काउंटर आदि ।

इस कार्यालय में पुस्तकालय सुविधा नहीं है ।

शिकायत/जानकारी प्राप्त करने हेतु परियोजना अधिकारी हरदा से सम्पर्क किया जा सकता है ।

बिन्दु क्रमांक 16 – 1. लोक सूचना अधिकारी

1. नाम	—	रिक्त
2. पदनाम	—	परियोजना अधिकारी
3. फोन नं	—	07577 – 225615
4. कार्या. का स्थान व पता	—	(संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में संचालित) कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी परियोजना हरदा कक्ष क्र 79

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी –

1. नाम	—	श्री टी आर पवार
2. पदनाम	—	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
3. फोन नं	—	निरंक
4. कार्या. का स्थान एवं पता	—	कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत आदिवासी परियोजना हरदा संयुक्त कलेक्टर कार्या0 में संचालित

3. सहायक सूचना अधिकारी –

1.	श्री एन. के वर्मा	सहा. ग्रेड –2	परि. कार्या. हरदा
----	-------------------	---------------	-------------------

बिन्दु क्रं 17– अन्य कोई प्रशासनिक जानकारी जिसका सीधा संबंध नागरिक से हो ।

इस कार्यालय से संबंधित समस्या का निराकरण परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना हरदा द्वारा किया जाता है ।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना
जिला हरदा